

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994

धाराओं का क्रम

५१

²[(13-क) "कुटुम्ब" से, एक ही पूर्वज से अवजनित, दत्तक ग्रहण सहित, सभी सदस्यों का अविभक्त कुटुम्ब, अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथा दर्शित, स्थायी रूप में एक साथ निवास, पूजा तथा भोजन करता है;]

⁴[(13-B) "family" means a joint family of all persons descended from common ancestor including adoption, who live, worship and

mess together permanently as shown in the parivar register of the Gram Panchayat;]

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997

¹[(खख) "वास्तविक निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थाई घर (गृह) है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश में कम से कम 25 वर्ष की अवधि से निवास कर रहा है या ऐसा व्यक्ति जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थाई घर है, किन्तु अपनी उपजीविका (व्यवसाय) के कारण वह हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहा है, भी है;]

21. परिवार रजिस्टर और जन्म-मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण.— ¹[(1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सभा स्थापित करने के पश्चात् प्रत्येक ग्राम सभा के लिए इन नियमों से संलग्न प्ररूप-19 में एक परिवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें परिवार-बार उन समस्त व्यक्तियों, जो उस गांव के वास्तविक निवासी हैं जो सभा क्षेत्र का भाग है, के नाम और विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हागी। रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और सम्बन्धित खण्ड के पंचायत निरोक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा।]

(2) उप-नियम (1) के अधीन तैयार किया जाना अपेक्षित परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियां प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की समाप्ति पर संशोधित की जाएंगी और पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 31 दिसम्बर तक के हुए जन्म, मृत्यु और विवाहों से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियां रजिस्टर में की जाएंगी। प्रविष्टियों में ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित सदस्य के प्रमाण-पत्र या किसी अधिप्रमाणित साक्ष्य के बिना कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा। परिवार में विभाजन की अवस्था में विभाजन की प्रविष्टियां परिवार रजिस्टर में तभी की जाएंगी जब ²[कुटुंब के सम्बद्ध मुखिया द्वारा किए गए आवेदन पर ग्राम

सभा द्वारा इसकी साधारण या विशेष बैठक में बहुमत द्वारा पारित संकल्प में इसका निर्णय लिया जाए। तथापि, कुटुंब के विभाजन के बारे में मामले का विनिश्चय करते समय, ग्राम सभा, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (13-क) के अधीन यथा परिभाषित कुटुंब की परिभाषा को ध्यान में रखेगी।} पंचायत निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायत सचिव द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् इन प्रविष्टियों को सत्यापित करे। वह पंचायत सचिव द्वारा प्ररूप-19क में तैयार किए गए गो"वारा को भी हस्ताक्षरित करेगा:

¹{परन्तु यह कि कुटुंब के विभाजन की बाबत परिवार रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार विभाजित (अलग हुए) परिवार के पास शौचालय न हो।}

सत्यापित किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि वास्तविक निवासीयों का नाम ही परिवार रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। इस संदर्भ में "वास्तविक निवासी" से अभिप्राय है कि जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थाई घर (गृह) है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश में कम से कम 25 वर्ष की अवधि से निवास कर रहा है या ऐसा व्यक्ति जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थाई घर है, किन्तु अपनी उपजीविका (व्यवसाय) के कारण वह

हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहा है, भी है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 में प्रावधान है कि पंचायत रजिस्टर में प्रविष्टियां करवाने हेतु सर्वप्रथम वास्तविक निवासी होना अनिवार्य है।